

सेवा में,

श्री मान् केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सतर्कता अनुभाग

पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

केन्द्रीय कार्यालय

गुडगाँव

अर्चना
mcep
अर्चना (प) - 14
को/

विषय - सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन
मद्यशय,

सविनय निवेदन है कि मैं केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त मद्योदय
नई दिल्ली को पावरग्रिड में तथापत मध्यकार के संबंध में 16-06-2016
को आवेदन दिया था (घायाप्रति संगलन) जिसको की केन्द्रीय सतर्कता
आयोग नई दिल्ली द्वारा 19-07-2016 को मुख्य सतर्कता अधिकारी
पावरग्रिड को जांच के लिए भेजा गया जो कि मुख्य सतर्कता अधिकारी
के कार्यालय में 01-09-2016 को प्राप्त हुआ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में निम्नलिखित सूचना
उपलब्ध करने की कृपा करें।

- (1) उक्त आवेदन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। कृपया तिथिवार
सूचना उपलब्ध करें।
- (2) जिन किसानों को मुआवजा का भुगतान किया गया है। उन किसानों से सूची
संबंधी कागजात देखा गया है। कृपया स्पष्ट सूचना उपलब्ध करें।
- (3) इस संबंध में मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति सदस्य से भी
पूछताछ की गई है। कृपया स्पष्ट सूचना उपलब्ध करें।
- (4) लोकेशन सं० - 385/02, 385/03, 386/0, 386/1, 386/2 एवं अन्य
का कार्यस्थल चाँदपुर मंगहा (CHANDPUR BHANJHA) पंचायत में
रहने के बावजूद अन्य/दूसरे पंचायत के जनप्रतिनिधियों से
मुआवजा प्रपत्र का स्थापन करवाने के बावजूद पावरग्रिड द्वारा
किसानों को मुआवजा दिया गया है। क्या इस संबंध में पंचायत
जनप्रतिनिधि/किसानों/पावरग्रिड के अधिकारी/कर्मचारी से पूछताछ
की गई है। कृपया स्पष्ट सूचना उपलब्ध करें।

(5) अगर जांच समाप्त (पूरी) हो गई हो तो आवेदन से संबंधित फाइल की दायराप्रति उपलब्ध कराई जाए।

मैं भारत का नागरिक हूँ, तथा I. P. O - 100 रु० का संग्रह कर भेज रहा हूँ, जिसकी सं०-46H 293401 है।

पताचारा का पता

कंचन कुमार

ग्राम - अशोकनगर

पो० - नौलखी

भागा - मुटलीगंज

जिला - पूर्णियाँ

पिन - 852122

(बिहार)

विश्वासभाजन

कंचन कुमार

20-05-2017

सेवा में,

श्रीमान् केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त महोदय,

नई दिल्ली

विषय : पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार का उद्यम है। जिसके द्वारा विश्वनाथ चरयाली से आगरा तक ± 800 KV HVDC लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें से पावरग्रिड सब स्टेशन, पुर्णिया (विहार) द्वारा इस्लामपुर से सहरसा तक 492 टावरों का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें व्याप्त भारी वित्तीय अनियमितता एवं रिश्वतखोरी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

1. भू-स्वामित्व का सत्यापन ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कराया गया है, जबकि यह अधिकार सिर्फ राजस्व विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के पास होता है।
2. भूमि से संबंधित दस्तावेज सिर्फ राजस्व विभाग के कार्यालय में होता है, ग्राम पंचायत कार्यालय में भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं होता है।
3. गलत एवं अधिक भुगतान के लिए कार्यस्थल से 4 किमी (चार किमी) दूरी तक के भूमि का विवरण दिखाया गया है।
4. एक ही भूमि के कई भूस्वामी दिखाये गये हैं।
5. एक ही प्लॉट सं० को कई खाता संख्या में दिखाया गया है, जबकि एक प्लॉट एक ही खाता संख्या के अंतर्गत आता है।
6. एक ही भूमि पर एक ही व्यक्ति ने, एक साथ भिन्न-भिन्न फसल दिखाकर, भिन्न-भिन्न मुआवजा फॉर्म भरा है। ऐसा फसल जो उस भूमि पर न हुआ है, न हो सकता है।
7. एक ही व्यक्ति ने अलग-अलग नाम से मुआवजा प्राप्त किया है।
8. एक ही भूमि की भू-स्वामित्व सत्यापन अलग-अलग मुआवजा प्रपत्र पर अलग-अलग ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधियों में कराया गया है।

आवेदन के साथ उदाहरण के तौर पर सिर्फ दो टावर 386/0 एवं 385/3 से संबंधित भ्रष्टाचार के कुछ उदाहरण (दस्तावेज सहित) संलग्न कर रहे हैं, यदि इसकी सही तरीके से जांच की जायेगी तो उम्मीद है यह स्वतंत्र भारत का मजबूत बड़ा प्रोटाला होगा।

अतः आपसे प्रार्थना है की इस वित्तीय अनियमितता की जांच करने की कृपा करें।

संलग्न :

1. भुगतान की सूची
2. प्रपत्रों की प्रतियाँ

प्रति :

1. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
2. वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
3. ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली

विश्वास भाजन

कंचन कुमार

16-06-2016

कंचन कुमार

पत्राचार का पता :-

कंचन कुमार

ग्राम- अशोकनगर ,

पो० - नौलखी

भाया - मुरलीगंज, जिला - पुर्णिया

पिन - 852122 (बिहार)

उदाहरण के तौर पर दो टावरों 385/3 एवं 386/0 का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

1. टावर सं० 385/3 का निर्माण खाता सं० 10 एवं खेसरा सं० - 4 ग्राम- अशोकनगर, पंचायत- चाँदपुर भंगहा, अंचल- वनमनखी, जिला- पुर्णिया में हुआ है। जिसका स्वामित्व स्व० विशेश्वर झा के नाम है।
2. टावर सं० 386/0 का निर्माण खाता सं० 53, खेसरा सं०- 538 ग्राम- अशोकनगर, पंचायत- चाँदपुर भंगहा, अंचल- वनमनखी, जिला- पुर्णिया में हुआ है। जिसका स्वामित्व श्री शिवेश्वर झा के नाम है।
3. टावर सं० 386/0 के फाउंडेशन के समय खाता सं० 53 एवं खेसरा सं० 538 में दिये गये मुआवजों का विवरण :-

	प्रपत्र सं०	राशि	फसल का नाम	
श्री प्रवेश कुमार झा	478/23809	₹ 84000 ₹ 84000	हल्दी हल्दी	एक ही प्रपत्र पर दो चेक जारी
श्रीमति शीला देवी पति श्री प्रवेश कु झा	478/23811	₹ 40185 ₹ 34560	बैंगन एवं टमाटर	एक ही प्रपत्र पर दो चेक जारी
श्री मिथिलेश कु झा	478/23807	₹ 84000 ₹ 84000	हल्दी हल्दी	एक ही प्रपत्र पर दो चेक जारी
श्रीमति रेणु कुमारी पति श्री मिथिलेश झा	478/23813	₹ 40185 ₹ 34560 ₹ 34560	बैंगन एवं टमाटर	एक ही प्रपत्र पर तीन चेक जारी
श्री सर्वेश कुमार झा	478/23808	₹ 84000	हल्दी -	एक चेक जारी
श्रीमति डेजी देवी पति सर्वेश झा	478/23812	₹ 40185 ₹ 34560 ₹ 34560	बैंगन एवं टमाटर	एक ही प्रपत्र पर तीन चेक जारी

छायाप्रति संलग्न

उपरोक्त विवरण में तीनों भाइयों ने फसल के रूप में हल्दी दिखा रखा है एवं तीनों की पत्नियों ने फसल के रूप में बैंगन एवं टमाटर दिखा रखा है जोकि असंभव है।

4. टावर सं० 386/0 का फाउंडेशन, इरेक्शन एवं स्ट्रिगिंग तीनों कार्य खाता सं० 53 एवं खेसरा सं० 538 में ही हुआ है। लेकिन अधिक भुगतान के लिए खाता सं० 20 खेसरा सं० 2771, 2772, 2776, 2777 एवं 2778 पंचायत – नौलखी, अंचल- बनमनखी, पूर्णिया जोकि टावर सं० 386/0 से चार किमी दूर है, का विवरण दिखाकर मुआवजा दिया गया है। जिसका निम्न विवरण है :-

	खाता सं०	खेसरा सं०	मुआवजा
श्री प्रवेश कुमार झा	20	2772, 2777	₹ 42,168/-
श्रीमति शीला देवी (पति श्री प्रवेश झा)	20	2771, 2772, 2777	₹ 69,680/-
श्रीमति रेणु देवी (पति श्री मिथिलेश झा)	20	2771, 2772, 2777	₹ 66,980/-
श्री मिथिलेश कुमार झा *	20	2771, 2772	₹ 70,800/-

छायाप्रति संलग्न

*श्री मिथिलेश कुमार झा के उपरोक्त प्रपत्र पर किसी जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर भी नहीं है।

श्री आकाश भारद्वाज *	20	2778	₹ 45,360/-
----------------------	----	------	------------

- श्री आकाश भारद्वाज को खाता 20 खेसरा सं० 2778 में फाउंडेशन होने समय क्षति दिखाया गया है, जबकि यह 386/0 से चार किमी दूर है।

श्री सर्वेश कुमार झा	20	2771, 2777, 2776	₹ 52,608/-
श्रीमति अकावरी देवी (पति श्री शिवेश्वर झा)	20	2771, 2778, 2776	₹ 45,360/-
श्रीमति डेजी देवी (पति श्री सर्वेश झा)	20	2778	₹ 76,201/-
श्री शिवेश्वर झा	20	2778, 2771, 2776	₹ 67,680/-
श्री शिवेश्वर झा	20	2771, 2772, 2778	₹ 1,88,203/-

छायाप्रति संलग्न

5. टावर संख्या 386/0 के स्ट्रिगिंग का भी मारा काम खाता 53 एवं खेसरा सं० 538 में ही हुआ है। लेकिन खाता सं० 51 एवं खेसरा सं० 938, 539 दिखाकर भुगतान हुआ है, जबकि खाता सं० 51 में खेसरा सं० 938, 539 नहीं है एवं खाता सं० 051 स्व० विश्वेश्वर झा का है जो इन लोगों में अलग है।

	खाता	खेसरा	भुगतान
श्री प्रवेश कुमार झा	51	938, 539	₹ 31,680/-
श्रीमति रेणु कुमारी (पति श्री मिथिलेश झा)	51	938, 539	₹ 31,680/-
श्रीमति डेजी देवी (पति सर्वेश कुमार झा)	51	938, 539	₹ 31,680/-
शीला देवी (पति प्रवेश कुमार झा)	51	938, 539	₹ 31,680/-
श्री सर्वेश कुमार झा	51	938, 539	₹ 31,680/-
श्री शिवेश्वर झा	51	938, 539	₹ 14,400/-
श्रीमति अकाबरी देवी (पति श्री शिवेश्वर झा)	51	938, 539	₹ 33,120/-
श्री आकाश भारद्वाज	51	938, 539	₹ 33,120/-
श्री मिथिलेश कुमार झा *	53	938, 539, 566	₹ 14,400/-

छायाप्रति संलग्न

** श्री मिथिलेश कुमार झा को खाता 53 दिखाकर भुगतान किया गया है जबकि कोई भी खेसरा एक निश्चित ही खाता सं० में आता है।

6. टावर सं० 386/0 के इरेक्शन के समय गलत खाता एवं खेसरा तथा बिना किसी खाता खेसरा का भी भुगतान हुआ है।

	खाता	खेसरा	भुगतान
श्रीमति डेजी देवी * (पति सर्वेश कुमार झा)	1176	562, 563	₹ 42,000/-

*. खाता एवं खेसरा दोनों किसी अन्य व्यक्ति का है।

श्री प्रवेश कुमार झा * ₹ 50,625/-

*. उपरोक्त प्रपत्रों में कोई भी खाता एवं खेसरा नहीं दर्शाया गया है।

छायाप्रति संलग्न

7. टावर सं० 385/3 निर्माण पंचायत – चोंदपुर भंगहा में होने के बावजूद दूसरे पंचायत के जनप्रतिनिधियों के द्वारा सत्यापित किया गया है।

	खाता	खेसरा	भुगतान
श्री ललन कुमार झा	10	1,2,3,4	₹ 42,000/-
श्रीमति सुधारानी देवी (पति श्री ललन झा)	10	1,2,3,4	₹ 25,200/-
श्री रतन कुमार झा	10	1,2,3,4	₹ 42,000/-
श्रीमति वीणा देवी (पति श्री रतन झा)	10	1,2,3,4	₹ 24,840/-
श्री मनोरंजन कुमार झा	10	1,2,3,4	₹ 42,000/-
श्रीमति सरोज देवी (पति श्री मनोरंजन झा)	10	1,2,3,4	₹ 25,200/-
श्री रंजन कुमार झा	10	1,2,3,4	₹ 66,600/-

छायाप्रति संलग्न

उपरोक्त सारे प्रपत्रों को दूसरे भाग संख्या 04 के पंचायत समिति सदस्य द्वारा सत्यापित कराया गया है। उपरोक्त सारे प्रपत्र 19/02/2015 को जारी हुआ, जिसमें फसल हल्दी दिखाया गया है।

नीचे दिये गए प्रपत्र दिनांक 13/03/2015 को (24 दिन बाद) जारी हुए है, जिसमें फसल अदरक दिखाया गया है जबकि इस इलाके में न तो हल्दी होता है न ही अदरक।

	खाता	खेसरा	भुगतान
श्री ललन कुमार झा*	10	1,2,3,4,16	₹ 60,588/-
श्री नवनीत कुमार	10	1,2,3,4	₹ 24,400/-
श्री रतन कुमार झा *	10	1,2,3,4,16	₹ 59,940/-
श्री मनोरंजन कुमार झा *	10	1,2,3,4,16	₹ 59,940/-
श्री रंजन कुमार झा *	10	1,2,3,4,16	₹ 59,940/-

छायाप्रति संलग्न


*. श्री ललन झा, श्री रतन झा, श्री मनोरंजन झा एवं श्री रंजन झा के प्रपत्र को अन्य पंचायत के सरपंच द्वारा सत्यापित किया गया है।

	खाता	खेसरा	फसल/ वृक्ष	प्रपत्र सं०
ललन कुमार झा	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	007
सुधा रानी देवी (पति ललन कुमार झा)	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	011
रतन कुमार झा	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	008
वीणा देवी (पति रतन कुमार झा)	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	013
मनोरंजन कुमार झा	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	009
सरोज देवी (पति मनोरंजन कुमार झा)	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	012
रंजन कुमार झा	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	010
केशव कुमारी (पति रंजन कुमार झा)	52	3869	वृक्ष एवं बाँस	014

छायाप्रति संग्रह

ky


एक सौ रुपये का भारतीय डाक आदेश 100 रुपये का भारतीय डाक आदेश एक सौ रुपये का भारतीय डाक आदेश



डाक महाविदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO दावतबीर कानूनी 221 नं आध
इलाहाबाद, गुरुगान

एक सौ रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES ONE HUNDRED ONLY



डाक टिकट
POSTAGE STAMPS



AT THE POST OFFICE AT

गुरुगान

के डाकघर में अदा करें।

कमीशन COMMISSION रुपए 10 RUPEES
प्रेषक अपना नाम और पता यहाँ लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

दावतबीर कानूनी
221 नं आध - इलाहाबाद, पी.ओ. - गुरुगान
उत्तर प्रदेश, भारत

POSTMASTER
18-8-11

वैधता - जारी करने के महीने के अंतिम दिन से 24 महीने और वित्तीय कमीशन के पुनर्गठन जारी करने के महीने की अंतिम दिन से 36 महीने।
Validity - 24 months from the first day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.
इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

46H 293401